

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

| | | |
|--------|---|--|
| 7 | परियोजना / स्कीम का स्थान | |
| (I) | राज्य / संघ शासित क्षेत्र | उत्तर प्रदेश |
| (II) | जिला | सोनभद्र |
| (III) | वन प्रभाग | रेनुकूट |
| (IV) | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में) | 16.8912 हे0 |
| (V) | वन की कानूनी स्थिति | आरक्षित वन |
| (VI) | हरियाली का घनत्व | 0.8 |
| (VII) | प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) । सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल 4 मीटर भी संलग्न किए जाए) | परियोजना में पातन हेतु प्रभावित कुल 819 पौधो / वृक्षो की प्रजातिवार / व्यासवार सूची वैज्ञानिक नाम सहित संलग्न है । |
| (VIII) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी | संवेदनशील नहीं है । |
| (XI) | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | वन सीमा के अन्तर्गत । |
| (X) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए) | नहीं । |
| (XI) | क्या क्षेत्र में वनरपति और प्राणिजगत की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां / तो सत्संबंधी ब्यौरा दें । | नहीं । (मनमोहन मिश्र) प्रभागीय वनाधिकारी, रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र |
| (XII) | क्या सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से | नहीं । 2013 क्षेत्रीय वन अधिकारी म्योरपुर रेंज रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट सोनभद्र |

| | | |
|-------|---|---|
| | महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दे। | |
| 8 | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पो के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। | रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत रणटोला (कटौधी) से किरविल तक प्रस्तावित 132 के0वी0 विद्युत ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण हेतु प्रस्तावित 16.8912 हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। |
| 9 | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं। | नहीं |
| 10 | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा | |
| (I) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार | संलग्न है। |
| (II) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवकमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप | संलग्न है। |
| (III) | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। | संलग्न है। |
| (IV) | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। | रु0 4595780.00 (मु0 पैतालिस लाख पन्चानवे हजार सात सौ अस्सी मात्र) |
| (V) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के | प्रमाण पत्र संलग्न है। |

(मनमोहन मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र

201-1
क्षेत्रीय वन अधिकारी
म्योरपुर रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र

| | | |
|-------|---|---|
| | बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणपत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए) | |
| 11 | जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 ((XI, XII) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) | संलग्न है । |
| 12 | विभाग / जिला प्रोफाइल | |
| (I) | जिले का भौगोलिक क्षेत्र | 6788.00 वर्ग कि.मी.(678800 हे०) |
| (II) | जिले का वन क्षेत्र | 3782.86 वर्ग कि.मी.(378286 हे०) |
| (III) | मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र | 31 मामले 2981.9951 हे० |
| (IV) | 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण | 2206 + 133.2994 = 2339.2994 हे० |
| (क) | दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि | 2206.00 हे. |
| (ख) | वनेतर भूमि पर | 133.2994 हे. |
| (V) | तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति | |
| (क) | वन भूमि पर | 2206.00 हे. |
| (ख) | वनेतर भूमि पर | 133.2994 हे. |
| 13 | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश | रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत रणटोला (कटौधी) से किरविल तक प्रस्तावित 132 के०वी० विद्युत ड्रान्समिशन लाईन के निर्माण से विद्युत आपूर्ति में बढोतरी होगी जिससे राष्ट्र की प्रगति होगी । परियोजना के स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है । |

↓
 (मनमोहन मिश्र)
 हस्ताक्षरनाधिकारी,
 रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र
 नाम

दिनांक:-05.12.2022

स्थान:-रेनुकूट

सरकारी मोहर